**Payment of CCS in lieu of duty drawback by JCCI & E, Bombay**

3369. SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large amount of CCS and Supplementarty CCS in lieu of duty drawback is due to be paid by the JCCI and E, Bombay;

(b) whether it is also a fact that inspite of Rs. 130 crores being available with the JCCI & E Bombay the same has not been released to the deemed exporter, to whom refunds are due;

(c) whether it is a fact that a deemed exporter is to be paid nearly Rs. 20 crores as supplementary CCS in lieu of duty drawback;

(d) if so, what is the name of the company and the exact details thereof;

(e) what are the reasons that the refunds not yet been made; and

(f) by when these refunds will be made?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (f) A sum of Rs. 175.50 Crores was released to JCCI & E, Bombay in the months of January/ February 1992 for making payment of CCS claims against physical and deemed exports. Of this, he has paid an amount of Rs. 123.90 Crores in respect of claims of physical and deemed exports up to a value of Rs. 1 Crore. Owing to paucity of funds, supplementary cash assistance and refund of Central Excise duty was temporarily with-held. Additional funds are being released shortly with the instructions to make payments of CCS including payment of supplementary cash assistance in lieu of draw-back and refund of Central Excise duty, without value limit.

**राज्य व्यापार निगम और खनिज और धातु व्यापार निगम को असरणीबद्ध करने का प्रभाव**

3370. **डा॰ जिनेन्द्र कुमार जैन:**
**सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 मार्च, 1992 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में "डिकेनेलाइजेशन टू हिट एस॰टी॰सी॰ एण्ड एम॰एम॰टी॰सी॰" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि विदेश व्यापार को असरणीयबद्ध करने के परिणामस्वरूप **एम॰एम॰टी॰सी॰ और एस॰टी॰सी॰ के व्यापार में उल्लेखनीय रूप से कमी हो जाने की सम्भावना है;**

(ग) यदि हां, तो क्या इस स्थिति को देखते हुए सरकार इन निगमों का पुनर्गठन करने का विचार रखती है;

(घ) क्या यह सच है कि इन निगमों में जरूरत से ज्यादा कर्मचारी नियुक्त है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और अतिरिक्त जनशक्ति का उपयोग करने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है?

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम्)**: (क) से (ङ) सरकार ने दिनांक 5.3.92 के टाइम्स आफ इंडिया में छपी अखबार रिपोर्ट को नोट किया है। सरकार द्वारा किये गए उदारीकृत व्यापार नीति उपायों के सन्दर्भ में जहां निर्यात आयात की बहुत सी मदों का सरणीयन समाप्त कर दिया गया है, के सन्दर्भ में एस टी सी तथा एम एम टी सी को अपने निगमित उद्देश्यों को पुनः निर्धारित करना पड़ा है ताकि ये ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक घराने बन सके जो मुख्य रूप से असरणीकृत व्यापार के आधार पर प्रतिस्पर्धी वातावरण में कार्य कर रहे हैं।

सरणीयन समाप्त हो जाने की वजह से कम कारोबार के संदर्भ में एस टी सी अपनी बेशी श्रम शक्ति को समुचित रूप से पुनः प्रशिक्षण देने के बाद गैर-परम्परागत व्यापार क्षेत्रों में उनका उपयोग करके अपनी ऊपरी खर्च को कम करने की भी सोच रहे हैं।

**चमड़े और चमड़े से निर्मित वस्तुओं के निर्यात की सम्भाव्यता**

3371. **डा॰ जिनेन्द्र कुमार जैन:**
**श्री रणजीत सिंह:**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश से भारी मात्रा में चमड़ा, चमड़े से निर्मित वस्तुओं तथा इसके अन्य अवयवों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस सम्बन्ध में और अधिक निर्यात किये जाने की सम्भावनायें हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि देश में चमड़े के उत्पादों की आवश्यकता घरेलू उत्पादन से अधिक है;